उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2023के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या- 3 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
3(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि वाराणसी नगर निगम द्वारा एक अस्तित्व विहीन कम्पनी, वाराणसी वेस्ट सोल्यूशंस प्रा०लि० को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जारी किया गया तथा इसे जारी करने के पश्चात पंजीकृत हुई कम्पनी से करार किया गया ?	वाराणसी नगर निगम द्वारा टेण्डर के माध्यम से दिनांक 07-02-2020 को बिड में कम्पनी मे० ए०जी० एन्वायरों इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि० को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पत्र दिनांक 05-03-2020 को जारी किया गया। उक्त कम्पनी मे० ए०जी० एन्वायरों इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि० का सर्टिफिकेट ऑफ इन कॉपोरेशन दिनांक 22 दिसम्बर, 2004, स्थान मुम्बई है। टेण्डर के माध्यम से चयनित मे० ए०जी० एन्वायरों इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०को आर०एफ०पी० के प्रस्तर-4.1.बी की शर्तों के अनुसार उक्त कार्य हेतु एस0पी0वी0 (स्पेशल पर्पज व्हीकल)बनाना अनिवार्य था। जिसके क्रम में वाराणसी वेस्ट सॉलयूशन प्रा०लि० का पंजीकरण दिनांक 07-05-2020 को कम्पनी एक्ट 2013 के तहत हुआ। मे० ए०जी० एन्वायरों इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०द्वारा एस०पी०वी० के माध्यम से वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन प्रा०लि० को टेण्डर अनुबन्ध हस्ताक्षर हेतु अधिकृत किया गया। वाराणसी नगर निगम एवं वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन प्रा०लि० के मध्य सितम्बर, 2020 को अनुबन्ध किया गया।
(ख) उक्त अस्तित्व विहीन कम्पनी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जारी करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए कंपनी को ब्लैक-लिस्टेड करायेंगे ?	उपरोक्तानुसार।
(ग)यदि हॉ, तो कब तक ?	प्रश्न नहीं उठता।
(घ)यदि नहीं, तो क्यों ?	उपरोक्तानुसार।

ए.के. शर्मा
मंत्री
नगर विकास विभाग।